

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर
क्रमांकःप ८ (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/५४१।।

दिनांक ११-१-२१

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा ६(१)(क)(ii)(iv) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगर परिषद् धौलपुर की अवधी जो भी पहले हो, तक के लिए निम्न नगर परिषद् में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद् द्वारा सहवृत्त सदस्य मनोनीत करती है:-

जिला	नगरीय निकाय का नाम	क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल	श्रेणी
धौलपुर	नगर परिषद् धौलपुर	1.	श्री रमेश चन्द्र साहू		वाल्मीकी बस्ती विरजापाडा, धौलपुर		वाल्मीकी
		2.	श्री हाजी नूर मोहम्मद		पुराना शहर, धौलपुर		सामान्य
		3.	मधु जैन		गौरव पथ, घण्टाघर, धौलपुर		महिला
		4.	श्री जगदीश कुशवाह		सीताराम कॉलोनी धौलपुर		ओबीसी
		5.	श्री हरविलास (धौंबी)		पुराना डाक खाना धौलपुर		एससी
		6.	श्री राम सिंह जाटव		पुराना शहर धौलपुर		दिव्यांग
		7.	श्री कमलेश सिंघल	श्री गोपाल प्रसाद सिंघल	नई कलेक्ट्रेट के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर	7737310637	सामान्य
		8.	श्री शिवम सिंह चौहान	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान	अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड धौलपुर	9074427710	सामान्य

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्ही)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव


दिनांक ११-१-२१

क्रमांकःप ८ (ड)()विधि/मनो/डीएलबी/21/५४१२ - २५

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है :-

०१. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
०२. निजी सचिव, विशेषाधिकारी (डी.), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
०३. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
०४. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
०५. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
०६. निजी सचिव, जिला कलक्टर, धौलपुर।
०७. निदेशक स्थानीय निधि अंकेभाग विभाग, जयपुर।

08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), रथानीय निकाय विभाग कोटा।
09. संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. आयुक्त, नगर परिषद धौलपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने रत्न पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
11. निदेशक/अधीक्षक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
12. उप निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
13. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी